



डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्ब0/२५४/2023 दिनांक: 26.08.2023

प्रो० संजीव कुमार,
प्रवेश समन्वयक,
सत्र 2023-24।

विषय:—आर्थिक कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) कोटा के संदर्भ में।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा प्रो० एस०पी० सिंह, प्राचार्य, सेण्ट जॉन्स कालेज, आगरा (महामंत्री) प्राचार्य परिषद् के पत्र दिनांक 03.08.2023 के क्रम में आर्थिक कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) कोटा के अन्तर्गत 10 प्रतिशत अतिरिक्त सीट वृद्धि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में शैक्षिक विभाग से प्राप्त आख्या एवं प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 20.05.2023 में लिये गये निर्णय सामान्य निर्देश 1 (ब) आपके संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:—यथोक्त।

भवदीय

सहा० कुलसचिव

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. परीक्षा नियंत्रक।
2. अधीक्षक—कुलपति सचिवालय, कुलपति जी को सूचनार्थ।
3. अधीक्षक—कुलसचिव कार्यालय।
4. अधीक्षक—शैक्षिक विभाग।
5. गार्ड फाईल।

सहा० कुलसचिव

PRINCIPALS' ASSOCIATION

(Affiliated to Dr. B.R. Ambedkar University, Agra)

प्रो० (डॉ०) यशपाल बघेल
प्राचार्य, एस०बी०बी० कॉलेज,
कोसी कलौं, मधुरा ।
अध्यक्ष



प्रो० एस०पी० सिंह
प्राचार्य, सेंट जॉन्स कॉलेज,
आगरा।
महामंत्री

सेवा में

प्रदेश सम्बन्धक,
डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

विषय:- EWS कोटा की सीटों के सन्दर्भ में।

महोदय,

शासनादेशों के अनुपालन में 10 प्रतिशत सीटों पर EWS कोटे के अन्तर्गत प्रवेश दिया जाता है, जिसके लिये रीटें विश्वविद्यालय के द्वारा स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त प्रदान की जाती है। A

पूर्व में EWS कोटे के लिये सीटों में की गयी वृद्धि एडमिशन पोर्टल पर प्रदर्शित हो जाती थी, परन्तु इस वर्ष सीटें प्रदर्शित न होने के कारण भ्रम की स्थिति बनी हई है।

अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस विषय पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें।

AR(B&F) ✓
2.
01/01/23

~~210 050 (211 04)~~ 0 EWS

“एसडीएस ने इनमें नियम लागू किए हैं। उसपर आगामी दिन एसडीएस द्वारा इनमें अवधि लागू किया जाएगा।” (प्रभात चंद्र)

भवदीय
३४२

~~SHD
26/08/2023~~

महामंत्री
प्राचार्य परिषद्.
एवं

प्रतिलिपि:-

1. कुलसचिव, डॉ भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

~~166~~
95-08-23

OS (Accademics)

Accumulatives
EWS and in form is becoming very

26/08/23



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 20.05.2023 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 20.05.2023 को अपराह्न 01:00 के बृहस्पति भवन कुलपति कार्यालय में प्रवेश समिति की बैठक आहत की गयी। जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित रादरय उपरिथित हुये:-

प्रो० आशु रानी (अध्यक्ष) - कुलपति	
2. प्राचार्या, बी०डी० के० कालेज, आगरा	3. प्राचार्या, बी०डी० जैन गर्ल्स पी०जी० कालेज, आगरा।
4. डा० शशि कान्त पाण्डेय, संयुक्त सचिव, आगरा कालेज, आगरा।	5. डा० गौरव कौशिक, कार्यकारिणी सदस्य औटा, आगरा कालेज, आगरा।
6. डा० विनोद कुमार सिंह कुलसचिव	7. प्रो० अजय तनेजा प्रति कुलपति (विशेष आमंत्रित सदस्य)
8. प्रो० संजीव कुमार (विशेष आमंत्रित सदस्य)	9. प्रो० यशपाल सिंह (विशेष आमंत्रित सदस्य)
9. प्रो० विजय श्रीवास्तव (विशेष आमंत्रित सदस्य)	10. प्रो० अनुराधा गुप्ता (विशेष आमंत्रित सदस्य)
11. परीक्षा नियंत्रक (विशेष आमंत्रित सदस्य)	

सर्वप्रथम सचिव द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों का स्वागत किया गया, बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व प्रति कुलपति प्रो० अजय तनेजा द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्यपाल सचिवालय से कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार/राष्ट्रीय स्तर पर रैकिंग सुधार हेतु आगामी 10 वर्षों का एक विजन डाक्यूमेंट तैयार कर प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके लिए आप सभी के सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। अपने सुझाव विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिये गये लिंक पर भेजने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् बैठक की अध्यक्ष अनुगति से सचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

- (1) वेब रजिस्ट्रेशन (2) पाठ्यक्रम/महाविद्यालय/संस्थान व विषय का चुनाव चुनना (3) भुगतान करना
- (4) फार्म प्रिंट Online माध्यम से पूर्ण करके पाँचवे चरण में जिस आवासीय संस्थान/महाविद्यालय को चुनना चाहता है। वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। सभी आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र हैं, परन्तु वह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकते हैं जो Admission Monitoring System की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
4. महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dbrau.ac.in के पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जायेगी। प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धित समरत सूचनायें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जिनका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. समिति द्वारा Web Registration के रूप में लिये जाने वाले शुल्क में बढ़ोत्तरी करते हुये स्नातक स्तर पर 200/- रु0 के स्थान पर 250/- रु0 तथा परास्नातक स्तर पर 300/- रु0 के स्थान पर 350 रु0 देय होंगे।

सामान्य निर्देश

1. (अ)(i) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका “प्रोस्पेक्टस” तैयार करायेगा, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे तथा विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य 300/- होगा।
- (ii) महाविद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क 02/- रु0 के स्थान पर 10/- रु0 निर्धारित किया जाता है।
- (ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2023-2024 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, तथा 4 प्रतिशत स्थान दिव्यांगजन के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा-श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) तथा EWS हेतु स्वीकृति सीटों के सापेक्ष अतिरिक्त रूप से 10 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेंगी। दिव्यांगजन के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।
- (स) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय की वेबसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्प्यूटर आपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इंटरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है।
- (द) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपरात यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी

प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

10. आवेदन यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
11. नई शिक्षा नीति-2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को समायोजित कर लिया जायेगा।
12. माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 02.10.2021 के अनुपालन में यदि किसी परिवार की एक से अधिक बच्ची (अर्थात् दो सगी बहनें) परिसर/महाविद्यालय में पढ़ रही हो तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस माफ की जायेगी।
अन्य में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।



कुलदीप सिंह



कुलपति